संख्या–पी–225 / 81–2–2022–800(123) / 2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 07 जुलाई, 2022**

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कांवड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वभूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/Road/121197/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 221 / 2021 / एफ.सी / 403 दिनांक 21.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–75 / 11–सी–एफपी / यूपी / Road / 121197 / 2021, दिनांक 05.07.2022 द्वारा संशोधित सूचना / अभिलेख उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना / अभिलेख की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter